



उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 23/543/30-3-15-78एम/2014
लखनऊ, दिनांक 13 मार्च, 2015

अधिसूचना

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने/कम करने के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-215(2) एवं 215(3) के अन्तर्गत क्रमशः गठित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद तथा जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के अतिरिक्त जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु श्री राज्यपाल मण्डल स्तर पर मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	पुलिस, उप महानिरीक्षक	उपाध्यक्ष
3.	अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
4.	संभागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
6.	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
7.	ट्रक एवं सवारी वाहन एसोसिएशन के प्रतिनिधि (दो से तीन तक)	सदस्य
8.	राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के मण्डल स्तरीय अधिकारी	सदस्य
9.	इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के मण्डल स्तरीय अध्यक्ष	सदस्य
10.	नगर निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	मण्डलायुक्त द्वारा नामित सक्रिय 03 एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य	सदस्य
13.	संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जिन जनपदों में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) न हों, वहाँ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य सचिव

(2) यह समिति जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा करेगी, साथ ही साथ विभिन्न स्त्रोंतरों से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को मिलने वाली राशि का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करेगी तथा यथावश्यकता अपनी संस्तुतियों राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को भेजेगी।

इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी और बैठकों में अपनायी जानी वाली प्रक्रिया का निर्धारण समिति स्वयं करेगी।

ह०

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/543(1)/30-3-2015, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्य (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 5- समस्त अपर परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त/संभागीय परिवहन अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ३०प्र०, इलाहाबाद को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(नर्वेंद सिंह)
संयुक्त सचिव।